



आई 39 रुम न जा.दी के पत्राव हु
दि. 7.8.24 को पेश हवे।


SDO

07.08.2024

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रकारान
उपरिष्पत। वकील प्रार्थी प्रकरण में
न्यायालय की जब तक की कार्यवाही
से संतुष्ट हैं एवं आगे कार्यवाही
नहीं-चाहते हैं। वकील वकील ने नोट
प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
प्रार्थी द्वारा नोट-प्रेस करने के
आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल
शुमार होकर शेलान मूल बाद
हो।

Not Press




उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा